कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा

पत्रांक–मान्यता/ 11476-86/2015–16 दिनाक– 31-12-2015

प्रबन्धक
सी0पी0एस0 इन्टरनेशनल स्कूल
अवागढ एटा ।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजम के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख. 31–8–2015 के आवेदन और इस संबन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश के कम में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 5.11.2015 में शासनादेश दिनाक 8–5–2013 में निहित प्रावधानो के अर्न्तगत लिये गये निर्णयानुसार, मैं **प्रबन्धक सी0पी0एस0 इन्टरनेशनल स्कूल अवागढ एटा** को दिनाक – 1.04.2015 से 31.3 2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक के लिए (अंग्रेजी माध्यम) अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः–

1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/ संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध2) के उपबंधो का पालन करेगा।

3 विद्यालय कक्षा 6 से 8 में उस कक्षा मे बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4 पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय के अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5 सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6 विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेंगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

(I) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा :

(II) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(III) शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(IV) शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण –पत्र प्रदान किया जाएगा।

(V) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(VI) अध्यापक अधिनियम की धारा 23(1) के आधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतक अर्हताए अर्जित करेंगे।

(VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है और,

(VIII) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकिथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसविधाए निम्नानुसार हैः–

कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीडा–स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्राध्यापक सह कार्यालय सह भण्डार के लिए कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए प्रथक शौचालय

पेयजल सुविधा
मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई
वाधारहित पंहुच
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करो/पुस्तकालिय की उपलब्धता

9 विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके वाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यताप्रप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।

10 विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11 विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12 स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एंकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिएं प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14 आपके विद्यालय को आंवटित मान्यता कोड संख्याक 2015/06 **(अग्रेजी माध्यम, एटा)** है। कृपया नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याकं का उल्लेख करें।

15 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता हें जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपेक्षित हो और समचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबधी शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।

16 सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17 संलग्न उपावंध के अनुसार अन्य निम्न शर्ते।

A– शासनादेश में नियत मानको के अनुसार आपके विद्यालय हेतु प्रधानाध्यपक, सहायक अध्यापक ,लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी,पद अनुमन्य होगे।

B– विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निहित (अग्रेजी माध्यम)पाठयकम से भिन्न पाठयकम में न तो शिक्षा दी जायेगी न तो पाठय पुस्तको को उपयोग किया जायेगा।

C– विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरो के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा ।

D– शासकीय/विभागीय आदेशो का पालन न करने एवं गलत तथ्यो के प्रकाश में आने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण/समाप्ति का अधिकार सचिव उ0प्र0 वेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

भवदीय

(एस0एन0यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
एटा
30/12/2015

पृष्ठाकन सं0/ मान्यता/ /2015–16 दिनांक–वही।

प्रतिलिपि निम्न की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2 मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) अलीगढ।
3 जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी एटा।
4 वित्त एवं लेखाधिकारी ,बेसिक शिक्षा एटा।
5 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद एटा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
एटा